संख्याः– / XXIX-2/2025/E-77461

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांकः अगस्त, 2025**

विषयः– जनपद टिहरी की अकरी बारजूला पम्पिंग पेयजल योजना के रॉ–वॉटर/इन्टेक वैल में पुराने पम्पिंग प्लान्ट के स्थान पर नये Energy Efficient पम्पिंग प्लान्ट एवं तत्संबंधी सामग्री की आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य की योजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–270/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/11, दिनांक 13 जून, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी की अकरी बारजूला पम्पिंग पेयजल योजना के रॉ–वॉटर/इन्टेक वैल में पुराने पम्पिंग प्लान्ट के स्थान पर नये Energy Efficient पम्पिंग प्लान्ट एवं तत्संबंधी सामग्री की आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य की योजना हेतु अनुमोदित लागत ₹ 163.85 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या–I/255312/XXIX-2/2024/E-77461, दिनांक 22.11.2024 के द्वारा अवमुक्त ₹ 100.00 लाख को कम करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवशेष धनराशि ₹ 63.85 लाख (₹ तिरेसठ लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से संबंधित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन उन कार्यों में किया जाय, जिनमें कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 80 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, को वरीयता दी जाय।

(v) योजना में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाय। योजना की अनुमोदित लागत से अधिक आवंटन कदापि न किया जाय।

(vii) उक्तानुसार चालू योजना पर धनावंटन/व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश संख्या–I/255312/XXIX-2/2024/E-77461, दिनांक 22.11.2024 में निहित अन्य समस्त शर्तों यथालागू का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल पूर्ति–101–शहरी जल पूर्ति–08–पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष पम्प की स्थापना–00–55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1) 2025, दिनांक 31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 27-08-2025
17:25:59

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्याः– (1)/XXIX-2/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 27-08-2025
17:31:40

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव